

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/जे. एम. ठाकुरद्वारा,(मुरादाबाद)

सरकार

बनाम

शकिर आदि।

वाद. सं.—808/18

धारा—13 जी.एक्ट

थाना—भगतपुर।

17.12.2019

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त तसद्दुक की ओर से जुर्म इकबाल हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया, जिस पर निम्न आदेश पारित किया गया।

आदेश

अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसको 300 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर 2 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

ठाकुरद्वारा।

